

आज दिनांक 19.10.2020 को श्रीपर्णा गांगुली पुलिस उप-महानिरीक्षक (ADDL- CP G-B-N) नोडल अधिकारी मिशन शक्ति अभियान जनपद बिजनौर द्वारा जिलाधिकारी बिजनौर, अपर पुलिस अधीक्षक नगर व मुख्य विकास अधिकारी के साथ विकास भवन सभागार में स्वयं साहयता समूह की महिलाओ के साथ गोष्ठी कर महिलाओ को उनके अधिकार, आत्मरक्षा तथा महिला हेल्पलाईन आदि के संबंध में जानकारी दी गयी तथा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान के बारे में जागरूक किया गया।

उक्त गोष्ठी में श्रीमती जरीफन द्वारा अपने जीवन संघर्ष के बारे में गोष्ठी में उपस्थित सभी महिलाओ को अवगत कराया गया और महिलाओ को उत्तर-प्रदेश सरकार द्वारा चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान के प्रति जागरूक किया गया।





आज दिनांक 19.10.2020 को श्रीपर्णा गांगुली पुलिस उप-महानिरीक्षक (ADDL- CP G-B-N) नोडल अधिकारी मिशन शक्ति अभियान जनपद बिजनौर द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर के साथ थाना हल्दौर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पंचायत धर्मपुरा में महिलाओ के साथ गोष्ठी कर महिलाओ को उनके अधिकार, आत्मरक्षा तथा महिला हेल्पलाईन आदि के संबंध में जानकारी दी गयी तथा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान के बारे में जागरूक किया गया।





आज दिनांक 19.10.2020 को श्रीपर्णा गांगुली पुलिस उप-महानिरीक्षक (ADDL- CP G-B-N) नोडल अधिकारी मिशन शक्ति अभियान जनपद बिजनौर द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर, तहसीलदार, विकास खंड-अधिकारी हल्दौर के साथ विकासखण्ड हल्दौर के सभा कक्ष में गोष्ठी की गई जिसमें हल्दौर ब्लाक क्षेत्र की आगनबाड़ी महिलाओं को उनके अधिकार, आत्मरक्षा तथा महिला हेल्पलाइन आदि के सम्बन्ध में जानकारी दी गयी तथा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान के बारे में जागरूक किया गया।







आज दिनांक 19.10.2020 को श्रीपर्णा गांगुली पुलिस उप-महानिरीक्षक (ADDL- CP G-B-N) नोडल अधिकारी मिशन शक्ति अभियान जनपद बिजनौर द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर, तहसीलदार, विकास खंड-अधिकारी हल्दौर के साथ विकासखण्ड हल्दौर क्षेत्रान्तर्गत ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान केन्द्र में कढ़ाई, बुनाई व धूपबत्ती बनाने का प्रशिक्षण ले रही महिलाओं द्वारा बनाये गये वस्त्र व धूपबत्ती की सराहना की गयी और प्रशिक्षण संस्थान का निरीक्षण भी किया गया तथा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान के बारे में जागरूक किया गया।









थाना अफजलगढ- आज दिनांक 19.10.2020 को थाना अफजलगढ पुलिस द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 302/2020 धारा 4/25 आयुध अधिनियम से संबंधित अभियुक्त आसिफ पुत्र निजामुद्दीन व मुकदमा अपराध संख्या 303/2020 धारा 4/25 आयुध अधिनियम से संबंधित अभियुक्त मोहम्मद अजीम पुत्र मोहम्मद इरशाद निवासी ग्राम मनियावाला थाना अफजलगढ, जनपद बिजनौर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।



थाना अफजलगढ- आज दिनांक 19.10.2020 को थाना अफजलगढ पुलिस द्वारा अभियुक्त विक्रांत पुत्र प्रमोद निवासी ग्राम कादराबाद व अभियुक्त रोहित पुत्र सुखदयाल निवासी ग्राम मुरली वाला थाना अफजलगढ, जनपद बिजनौर को की धारा 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार किया गया।



नोट- पुलिस अधीक्षक बिजनौर के निर्देशन में समस्त थाना प्रभारियों द्वारा मिशन शक्ति अभियान के तहत अपने-अपने थाना क्षेत्रों में नुक्कड़ सभाएं करके तथा रैलियां निकालकर नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन का प्रचार-प्रसार व मिशन शक्ति अभियान के बारे में जागरूक किया गया।







थाना शिवालाकंला— आज दिनांक 19.10.2020 को थाना शिवालाकंला पुलिस द्वारा अभियुक्त लोकेंद्र पुत्र तेजपाल निवासी ग्राम युसूफ आ थाना शिवालाकंला, जनपद बिजनौर को मुकदमा अपराध संख्या 173/20 धारा 308/323/504 भादवि में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।



थाना मण्डावर— आज दिनांक 19.10.2020 को थाना मण्डावर पुलिस द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 283 / 20 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम से संबंधित अभियुक्त बेगराज सिंह पुत्र करन सिंह निवासी ग्राम किशनपुर व मुकदमा अपराध संख्या 284 / 20 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम से संबंधित अभियुक्त बबलू पुत्र शेर सिंह निवासी सिकोहाबाद नई बस्ती थाना मंडावर जनपद बिजनौर को 20-20 लीटर अवैध शराब सहित गिरफ्तार किया गया।



थाना नांगल— आज दिनांक 19.10.2020 को थाना नांगल पुलिस द्वारा अभियुक्त विशाल पुत्र उमेश निवासी ग्राम कस्बा व थाना नांगल, जनपद बिजनौर को एक अदद नजायज चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया। जिसके संबंध में थाना नांगल पर मुकदमा अपराध संख्या 94 / 20 धारा 4 / 25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत किया गया।



थाना शेरकोट- आज दिनांक 19.10.2020 को थाना शेरकोट पुलिस द्वारा अभियुक्त सुखलाल पुत्र मोरवी निवासी ग्राम खिजरपुर थाना शेरकोट, जनपद बिजनौर को संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 290/2020 धारा 306 भादवि में गिरफ्तार किया गया।

